महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 83वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 83वीं बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 2026 को प्रातः 11:30 बजे बृहस्पति भवन स्थित नालन्दा कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1.	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, कुलगुरू महोदय	अध्यक्ष
2.	प्रो. सुभाष चन्द्र, संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग	सदस्य
3.	प्रो. मोनिका भटनागर, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष-सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	सदस्य
4.	प्रो. मिलन यादव, प्राचार्य, राज. महाविद्यालय, पुष्कर एवं संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
5.	प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय, विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स विभाग एवं पर्यावरण अध्ययन विभाग	सदस्य
6.	प्रो. अनिल दाधीच, संकायाध्यक्ष-कला संकाय	सदस्य
7.	प्रो. प्रेरणा जैन, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय	सदस्य
8.	डॉ. दुष्यन्त त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय	सदस्य
9.	प्रो. सुचेता प्रकाश, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय	सदस्य
10.	प्रो. ऋतु माथुर, विभागाध्यक्ष, खाद्य पोषण एवं विज्ञान विभाग	सदस्य
11.	प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष- वनस्पतिशास्त्र विभाग	सदस्य
12.	श्री हनुमान सिंह राठौड़, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	सदस्य
13.	प्रो. हरसुख राम छारंग, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नागौर	सदस्य
14.	प्रो. विकल गुप्ता, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर-342001	सदस्य
15.	डॉ. सतीश चन्द, विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, उदयपुर- 313001	सदस्य
16.	सुश्री नेहा शर्मा, कुलसचिव	सदस्य-सचिव

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :-</u>

1.	आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
2.	प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय तथा विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग	सदस्य
3.	प्रो. मनोज बहरवाल, प्राचार्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	सदस्य
4.	प्रो. नीलिमा गुप्ता, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-302004	सदस्य

सर्वप्रथम कुलगुरू महोदय ने विद्या परिषद् के नवीन सदस्यों का स्वागत किया । इसके पश्चात् कुलगुरू महोदय ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के 40वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर श्री सुरेश सिंह जी रावत, माननीय कैबिनेट मंत्री के द्वारा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए भवन निर्माण हेतु राशि

रूपये 50.00 लाख की सहायता राशि प्रदान की है । इस सहयोग हेतु माननीय मंत्री महोदय को, विद्या परिषद् के सदस्यों की ओर से कुलगुरू महोदय के द्वारा धन्यवाद-पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया तदुपरांत कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं0 01	विद्या परिषद् की 82वीं बैठक दिनांक 18.06.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (82) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2026/1904-20 दिनांक 19.06.2026 के द्वारा प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक
निर्णय	**उक्त कार्यवृत्त के निर्णय संख्या 06, 07 एवं 09 के क्रम में क्रमशः जारी शुद्धि-पत्र क्रमांक 4072-4129 दिनांक 17.07.2026 एवं शुद्धि-पत्र क्रमांक 3948 दिनांक 16.07.2026 के साथ कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 02	विद्या परिषद् की 82 वीं बैठक दिनांक 18.06.2026 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट-01)	शैक्षणिक
निर्णय	**उक्त अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया ।**	
मद सं0 03	विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार करने की प्रक्रिया में विभिन्न विषयों के अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को आयोजित की गयी । अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के द्वारा प्रस्तुत बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार कर निर्णय करना:- (कार्यसूची का परिशिष्ट- 02 से 47)	शैक्षणिक

S. No.	Name of BOS/COC	Date of Meeting	परि.
1	BoS in Zoology	04-05-2026	**02**
2	BoS in Botany	04-05-2026	**03**
3	BoS in Geology	04-05-2026	**04**
4	BoS in Food Science & Nutrition	04-05-2026	**05**

5	BoS in Remote Sensing & Geo-informatics	04-05-2026	06
6	BoS in Environmental Science	04-05-2026	07
7	BoS in Computer Application	04-05-2026 & 25-05-2026	08
8	BoS inComputer Science & I.T.	04-05-2026	09
9	BoS in Microbiology	04-05-2026	10
10	BoS in Bio-technology	04-05-2026	11
11	BoS in Drawing & Painting	05-05-2026	12
12	BoS in Music	05-05-2026	13
13	BoS in EAFM	05-05-2026	14
14	BoS in Business Administration	05-05-2026	15
15	BoS in English	06-05-2026	16
16	BoS in Public Administration	06-05-2026	17
17	BoS in Mathamatics	06-05-2026	18
18	BoS in Philosophy	06-05-2026	19
19	BoS in History	07-05-2026	20
20	BoS in Sociology	07-05-2026	21
21	BoS in Geography	07-05-2026	22
22	BoS in Library Science & Information	08-05-2026	23
23	CoC in Entrepreneurship	08-05-2026 & 15-09-2026	24
24	BoS in Population Studies	08-05-2026	25
25	BoS in Management Studies	08-05-2026	26
26	BoS in Political Science	08-05-2026	27
27	BoS in Yoga & Human Consciousness	14-05-2026	28
28	BoS in Jeevan Vigyan & Jain Darshan	14-05-2026	29
29	BoS in Sindhi	14-05-2026	30
30	BoS in Physics	14-05-2026	31
31	BoS in Economics	14-05-2026	32

32	BoS in Urdu, Persian & Arebic	14-05-2026	**33**
33	BoS in Sanskrit	14-05-2026	**34**
34	BoS in Physical Education	15-05-2026	**35**
35	CoC in Live Stock &Dairying	15-05-2026	**36**
36	BoS in Home Science	26-05-2026	**37**
37	BoS in A.B.S.T.	26-05-2026	**38**
38	BoS in Psychology	15-06-2026	**39**
39	BoS in Rajasthani	11-06-2026	**40**
40	BoS in Journalism & Mass Communication	16-06-2026	**41**
41	BoS in Chemistry	16-06-2026	**42**
42	BoS in Applied Chemistry	16-06-2026	**43**
43	BoS in Hindi	06-07-2026	**44**
44	CoC in B.Pharma/D.Pharma	24-07-2026	**45**
45	BoS in Law	10-09-2026	**46**
46	CoC in Swadeshi Consortium	15-09-2026	**47**

निर्णय

उक्त अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यवृत्तों पर विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-

1. स्नातकोत्तर स्तर के नवीन प्राप्त समस्त पाठ्यक्रमों का अनुमोदन निर्णय संख्या 04 (03) के अद्यतन करने का निर्णय लिया गया ।
2. शारीरिक शिक्षा अध्ययन बोर्ड द्वारा संस्तुत बी.पी.ई.एस. (चार वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध कराये गये सेमेस्टर **VII** एवं **VIII** के पाठ्यक्रम को स्वीकार किया गया ।
3. **Entrepreneurship** पाठ्यक्रम समिति द्वारा सत्र 2026-27 हेतु संस्तुत **Certificate Course in Digital Marketing** पाठ्यक्रम को स्वीकार किया गया ।
4. **Live Stock & Dairying** पाठ्यक्रम समिति द्वारा सत्र 2026-27 हेतु उपलब्ध कराये गये बी.ए. पार्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के नवीन संशोधित/अपडेटेड पाठ्यक्रम को स्वीकार किया गया ।
5. योग एवं मानव चेतना अध्ययन बोर्ड के द्वारा सत्र 2026-27 हेतु

	उपलब्ध कराये गये **Post Graduate Diploma in Yoga Education and Human Science (PGDYEHS)** पाठ्यक्रम को स्वीकार किया गया तथा **Masters in Yoga Studies and Therapy** पाठ्यक्रम का नाम **Master of Yoga Studies and Therapy Management** किया जाये । 6. डी.फार्मा/बी.फार्मा पाठ्यक्रम समिति के द्वारा सत्र 2026-27 हेतु उपलब्ध कराये गये **Bachelor of Pharmacy (B.Pharma)** पाठ्यक्रम को स्वीकार किया गया । 7. स्वदेशी कंसोर्टियम पाठ्यक्रम समिति द्वारा सत्र 2026-27 हेतु उपलब्ध कराये गये **Enterpreneurship Development Programme, Basics of Spice Milling, Startup Bootcamp-Ideation to Incorporation, Basics of Pulse Milling & Basics of Grain Processing and Milling** पाठ्यक्रमों को स्वीकार किया गया । 8. सत्र 2026-27 हेतु प्राप्त नवीन पाठ्यक्रमों में किसी प्रकार का संशोधन/अपडेशन अपेक्षित होने की स्थिति में उन्हें संशोधित करवाकर, अनुमोदित करने के लिए कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया ।	
मद सं0 04	कुलगुरू महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना:- (1) प्रतिवेदन है कि सचिव-माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, लोक भवन, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 4360 दिनांक 28.07.2026 के अनुसरण में विश्वविद्यालय में "राजस्थानी भाषा अध्ययन केन्द्र" की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2026) की धारा 19 (18) के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों के तहत दिनांक 30.07.2026 को उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । अतः कुलगुरू महोदय के उक्त आदेश की अनुपालना में विश्वविद्यालय में "राजस्थानी भाषा अध्ययन केन्द्र" की स्थापना के संबंध में अधिसूचना क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्षणिक/मदसविवि/2026/5876-920 दिनांक 31.07.2026 (कार्यसूची का परिशिष्ट- 48) जारी किया गया । अतः अधिसूचना क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्षणिक/मदसविवि/ 2026/	शैक्षणिक

	5876-920 दिनांक 31.07.2026 विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त आदेश का अनुमोदन किया गया तथा राजस्थानी भाषा अध्ययन केन्द्र हेतु Seed Money के रूप में राशि रूपये 1.00 करोड का प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
	(2) प्रतिवेदन है कि बी.ए. पार्ट-III LSD (Semester V & VI) पाठ्यक्रम में आंशिक परिवर्तन की आवश्यकता होने पर Live Stock and Dairying पाठ्यक्रम समिति के संयोजक द्वारा आवश्यक संशोधन कर बी.ए. पार्ट-III LSD (Semester V & VI) का संशोधित पाठ्यक्रम कार्यालय को उपलब्ध करवा दिया गया है । उक्त संशोधित पाठ्यक्रम को कुलगुरू महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 19 (18) के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों के तहत दिनांक 25.06.2026 को अनुमोदित कर दिया गया । अतः कुलगुरू महोदय के आदेश की अनुपालना में परीक्षा नियंत्रक को पत्र क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्षणिक/मदसविवि/ 2026/6453 दिनांक 04.07.2026 **(कार्यसूची का परिशिष्ट- 49)** जारी किया गया । अतः पत्र क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्षणिक/मदसविवि/ 2026/6453 दिनांक 04.07.2026 विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त आदेश का अनुमोदन किया गया ।**	
	<u>(3) प्रतिवेदन है कि</u> राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने के क्रम में विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर स्तर के सेमेस्टर प्रणाली एवं वार्षिक प्रणाली से संचालित पाठ्यक्रमों को सेमेस्टर प्रणाली (मय क्रेडिट) तैयार करवाये जाने हेतु तैयार की गयी परीक्षा स्कीम **(कार्यसूची का परिशिष्ट-58)** कुलगुरू महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गयी । पाठ्यक्रमों का समय पर निर्माण कराये जाने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में लगने वाले समय के दृष्टिगत कुलगुरू महोदय को विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत उक्त परीक्षा स्कीम का अनुमोदन दिनांक 02.05.2006 को किया गया । अतः स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु तैयार की गयी परीक्षा स्कीम विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत	शैक्षणिक

	है ।	
निर्णय	उक्त परीक्षा स्कीम पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assesment) कराये जाने हेतु परीक्षा स्कीम में संशोधन किया जाकर, संशोधित परीक्षा स्कीम के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों को संशोधित/अपडेट करवाये जाये तथा कला संकाय के स्नातकोत्तर स्तर के ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रायोगिक विषय (Practical Subject) है, में स्वयंपाठी विद्यार्थियों के आन्तरिक मूल्यांकन के संबंध में अपनी अनुशंसाएं देने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:- 1. प्रो. मिलन यादव 2. प्रो. सुब्रतो दत्ता 3. प्रो. ऋतु माथुर उक्त समिति की अनुशंसाओं को लागू करने हेतु कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया ।	
मद सं0 05	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा कारगिल शौर्य दिवस के अवसर पर राष्ट्र की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कारगिल युद्ध के अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनके आश्रित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में संचालित किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) एवं परीक्षा शुल्क (Examination Fee) तथा सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर परीक्षा शुल्क (Examination Fee) से पूर्णतः मुक्त रखा जाना अपेक्षित है । यह व्यवस्था राष्ट्र की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के प्रति विश्वविद्यालय परिवार की विनम्र श्रद्धांजलि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक होगी। अतः कारगिल युद्ध के शहीदों के आश्रित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में संचालित किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) एवं परीक्षा शुल्क (Examination Fee) तथा सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर परीक्षा शुल्क (Examination Fee) से पूर्णतः मुक्त रखे जाने का प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	सम्बद्धता
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।	
मद सं0 06	डॉ. दुष्यन्त त्रिपाठी- विभागाध्यक्ष-संगीत विभाग, सनातन धर्म महाविद्यालय,	शैक्षणिक

	ब्यावर एवं संकायाध्यक्ष-ललित कला से, स्नातकोत्तर संगीत विषय में प्रवेश संबंधी न्यूनतम योगयता में संशोधन एवं तत्संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त पत्र दिनांक 01.08.2026 पर विचार कर निर्णय करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट- 50)	
निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर एम.ए. (संगीत) में प्रवेश हेतु पात्रता निर्धारण हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:- 1- प्रो. अनिल दाधीच 2- प्रो. दुष्यन्त त्रिपाठी 3- प्रो. ऋतु माथुर	
मद सं0 07	आदेशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत सत्र 2026-27 से सेमेस्टर परीक्षाओं में पुर्नमूल्यांकन की सुविधा लागू की जानी है । इसमें पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन करने की तिथि, संबंधित परीक्षा का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद पूर्व में निर्धारित 15 दिवस के स्थान पर 10 दिवस किये जाने हेतु भी विचारार्थ है । पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 92 दिनांक 30.05.2024 के अनुसार पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन करने पर आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी के साथ मूल अंकतालिका के स्थान पर ऑनलाईन प्राप्त की गयी अंकतालिका की प्रति विद्यार्थी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ स्व-प्रमाणित (Self Attested) करते हुए विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करवाये जाने व शेष पुर्नमूल्यांकन नियम पूर्व में लागू थे, को यथावत रखे जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सत्र 2026-27 से परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 10 दिवस के भीतर विद्यार्थी पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकेंगे तथा आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी आवेदन-पत्र भरने की तिथि से 07 दिवस के भीतर मूल अंकतालिका/ ऑनलाईन (स्व-प्रमाणित) प्राप्त की गयी अंकतालिका की प्रति संलग्न कर कार्यालय को जमा करायेंगे । उक्त के अतिरिक्त पुर्नमूल्यांकन के शेष नियम पूर्वानुसार यथावत रहेंगे ।	
मद सं0 08	In case the Internal Assessment marks have been incorrectly entered/uploaded by the concerned teacher, the following procedure shall be followed for making any correction at the University level: (After declaration the result)	परीक्षा नियंत्रक

1. The concerned teacher shall submit a written explanation to the Examination Incharge clearly stating the nature of the error, the reason for the error, and the circumstances under which the incorrect marks were entered/uploaded.

2. The explanation submitted by the concerned teacher shall be duly forwarded by Examination Incharge to the Principal, along with all relevant documentary evidence and supporting records.

3. The concerned teacher shall provide complete documentary proof in support of the proposed correction and shall clearly certify that the error occurred inadvertently at his/her level.

4. The Principal/Examination In-charge shall examine the matter and satisfy himself/herself that the error actually occurred at the level of the concerned teacher/examination process and that the proposed correction is genuine and justified.

5. A written certificate/undertaking shall be issued by the concerned Examination Incharge and/or Principal/Head of the Department, as applicable, confirming that:
   - **a.** The incorrect entry of Internal Assessment marks occurred due to an error at the concerned level;
   - **b.** The proposed corrected marks are supported by authentic records and documentary evidence; and
   - **c.** necessary precautions shall be taken to ensure that such an error does not recur in future.

   Only after receipt of the duly verified and certified documents from the Examination Incharge, Principal, or Head of the Department, as applicable, shall the matter be considered at the University level for correction of the Internal Assessment marks.

6. No correction in the Internal Assessment marks at the University level shall be entertained solely on the basis of an oral request or an unverified communication. The correction shall be processed only after proper verification, justification, and certification by the competent authority.

There are several cases pending of this regard, these pending cases are also put for consideration of the Academic Council and then approval thereafter.

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि वर्तमान सत्र के परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात् महाविद्यालयों से संशोधित सत्रांक, संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से अग्रेषित होकर प्राप्त होने पर तद्नुसार संशोधित कर दिये जाये तथा भविष्य हेतु (आगामी सेमेस्टर परीक्षा से) उक्त संधारित प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालयों से प्राप्त संशोधित सत्रांको को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर तद्नुसार परीक्षा परिणाम घोषित किये जाये ।	
मद सं0 09	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत परीक्षार्थियों को मूल्यांकित/पुनर्मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की प्रति उपलब्ध करायी जाती है । इस हेतु वर्तमान में पूर्व वार्षिक परीक्षाओं की पद्धति के अनुसार उत्तरपुस्तिका की प्रति लंबे समय तक उपलब्ध करवायी जाती रही है, परन्तु अब चूंकि एन.ई.पी. -2020 के तहत वर्ष में दो बार परीक्षायें आयोजित हो रही है और उत्तरपुस्तिकाओं को रखने हेतु गोपनीय अनुभाग के सेलर में स्थान की कमी रहती है । ऐसी परिस्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उत्तरपुस्तिका प्रदत्त करने हेतु निम्नानुसार नियम प्रभावी किये जाने प्रस्तावित है- 1. मूल्यांकित/पुनर्मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की प्रति लेने हेतु आवेदन परीक्षार्थी द्वारा केवल ऑनलाइन पद्धति से ही किया जायेगा और इस हेतु विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र पर ही आवेदन किया जाना होगा । इस हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क रू. 10/- एवं प्रति उत्तरपुस्तिका शुल्क (रू. 2/- प्रति पृष्ठ) ऑनलाइन ही परीक्षार्थी द्वारा जमा करवाया जाना होगा । 2. उत्तरपुस्तिका की स्कैन कॉपी संबंधित परीक्षार्थी को ही उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करवायी गयी ई-मेल आई.डी. पर उपलब्ध करवायी जायेगी । परीक्षार्थी को स्वयं की उत्तरपुस्तिका ही प्रदत्त की जायेगी किसी अन्य परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका प्रदत्त नहीं की जायेगी । 3. मूल्यांकित/पुनर्मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की प्रति प्राप्त करने हेतु संबंधित परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के भीतर परीक्षार्थी को ऑनलाईन आवेदन करना होगा एवं इसकी हार्ड कॉपी की प्रति मय संलग्नक आवेदन की तिथि से 07 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-51 फार्म की प्रति संलग्न है)**	परीक्षा नियंत्रक

	4. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा । 5. आवेदक को अपनी नवीनतम फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर स्कैन करनी होगी साथ ही आवेदक को अपना आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी । 6. अपूर्ण व गलत भरे गये आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी। 7. यदि कोई परीक्षार्थी मूल्यांकन/समीक्षा हेतु आवेदन करता है और आर.टी.आई. के तहत उत्तरपुस्तिका की प्रति भी वांछित करता है तो उसे पुनर्मूल्यांकन/समीक्षा पश्चात् की उत्तरपुस्तिका की प्रति (स्केन कॉपी) दी जायेगी । 8. परीक्षक द्वारा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन से संबंधित शिकायत किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। 9. आर.टी.आई. के तहत प्राप्त उत्तरपुस्तिका में अंको के योग में गलती, प्राप्तांक चढ़ाने की गलती एवं उत्तरपुस्तिका में कोई पार्ट/प्रश्न बिना जंचा हुआ हो तो परीक्षार्थी उत्तपुस्तिका लेने की तिथि से 20 दिवस के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।	
मद सं0 10	वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में परीक्षा प्रश्न पत्र एवम् उत्तर पुस्तिका (28 पृष्ठ) का मुद्रण पृथक-पृथक रूप से कराया जाता है, जिससे विश्वविद्यालय पर अनावश्यक व्यय भार बढ़ता है एवम् इनके संरक्षण हेतु भी अधिक जगह की आवश्यकता होती है। अतः प्रश्न पत्र मय उत्तर पुस्तिका का मुद्रण कराते हुए (Integrated Answer Booklet) विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षायें आयोजित करवाये जाने हेतु मद विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा जाना प्रस्तावित है।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रक्रिया को प्रारम्भिक रूप से विज्ञान संकाय के आयोजित होने वाले प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा से प्रारम्भ किया जाये तथा महाविद्यालयों पर उत्तर पुस्तिकाएं एवं प्रश्न-पत्र पहुंचाने के संबंध में पोस्ट ऑफिस से चर्चा कर तदनुसार कार्यवाही कर प्रस्ताव आगामी विद्या परिषद् की बैठक में**	

	प्रस्तुत किया जाये ।	
मद सं0 11	विश्वविद्यालय में अधिकाधिक विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु आकर्षित करने एवं विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक सहयोग एवं समझौता ज्ञापनों की स्थापना (MoU's) हेतु अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक मामलों के परामर्शदाता की नियुक्ति (International Academic Affairs Advisor) विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों या बाह्य शैक्षणिक निष्णात में से की जानी है । बाह्य शैक्षणिक निष्णात की नियुक्ति की स्थिति में उसे विश्वविद्यालय नियमानुसार एक मुश्त मासिक वेतन दिया जाना प्रस्तावित है । मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक
निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक मामलों के परामर्शदाता की नियुक्ति (**International Academic Affairs Advisor**) एवं एक मुश्त मासिक वेतन इत्यादि के संबंध में समेकित अनुशंसा करने हेतु समिति का गठन करने हेतु कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया ।	
मद सं0 12	विद्या परिषद् की 82वीं बैठक दिनांक 18.06.2026 के निर्णय संख्या 22 की अनुपालना में कुलगुरू महोदय द्वारा गठित समिति (कार्यसूची का परिशिष्ट-52) के द्वारा Affiliated Colleges Building and Quality Enhancement Fund गठन के संबंध में तैयार किया गया अध्यादेश (कार्यसूची का परिशिष्ट-53) विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	निदेशक, आई.क्यू.ए.सी.
निर्णय	उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर **Affiliated Colleges Building and Quality Enhancement Fund** गठन हेतु तैयार किये गये अध्यादेश को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं0 13	विद्या परिषद् की 82वीं बैठक दिनांक 18.06.2026 के निर्णय संख्या 23 की अनुपालना में कुलगुरू महोदय द्वारा गठित समिति (कार्यसूची का परिशिष्ट-54) के द्वारा डी.लिट. उपाधि प्रदान किये जाने संबंधी तैयार किया गया अध्यादेश (कार्यसूची का परिशिष्ट-55) विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	निदेशक, आई.क्यू.ए.सी.
निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर डी.लिट. उपाधि प्रदान किये जाने हेतु तैयार किये गये अध्यादेश को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने	

	का निर्णय लिया गया ।	
मद सं0 14	विद्या परिषद् की 82वीं बैठक दिनांक 18.06.2026 के निर्णय संख्या 35 की अनुपालना में कुलगुरू महोदय द्वारा गठित समिति (कार्यसूची का परिशिष्ट-56) के द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Intellectual Property Rights) के संबंध में तैयार किया गया अध्यादेश (कार्यसूची का परिशिष्ट-57) विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	निदेशक, आई.क्यू.ए.सी.
निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर बौद्धिक सम्पदा अधिकार (**Intellectual Property Rights**) हेतु तैयार किये गये अध्यादेश को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं0 15	In reference to the decision of 82nd Academic Council Item No. 25 held on 18th June, 2026 the revised proposal of **Research Incentive Scheme for faculty members securing major externally funded sponsored research project** is submitted herewith. This scheme is proposed to promote a strong research culture, enhance externally funded research activities, and strengthen the academic and research profile of the University in national assessment frameworks such as NAAC and NIRF, the following proposal is submitted for consideration and approval of the Academic Council. (कार्यसूची का परिशिष्ट-59)	शोध अनुभाग
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।	
मद सं0 16	विद्या परिषद् की 82वीं बैठक दिनांक 18.06.2026 के निर्णय संख्या 23 के तहत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के आगामी दीक्षान्त समारोह में प्रख्यात/प्रतिष्ठित विद्वानों को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की सर्वोच्च उपाधि डी.लिट. (मानद) से सम्मानित कराये जाने हेतु 04 नामों के पैनल का अनुमोदन किया गया था । विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षान्त समारोह में प्रख्यात/प्रतिष्ठित विद्वानों को डी.लिट. की उपाधि प्रदान की जानी है । डी.लिट. उपाधि हेतु अनुशंसित (बंद लिफाफा पटल पर खोला जायेगा) प्रख्यात/प्रतिष्ठित विद्वानों से सहमति प्राप्त हो चुकी है तथा उनके नामों का अनुमोदन माननीय	उपाधि

	कुलाधिपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय द्वारा कर दिया गया है । अतः प्रख्यात/प्रतिष्ठित विद्वानों को डी.लिट. की उपाधि प्रदान किये जाने हेतु नामों का अनुमोदन करने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है ।	
निर्णय	विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षान्त समारोह में श्री आचार्य देवव्रत जी, माननीय राज्यपाल-गुजरात एवं श्रीमती इन्दुमति काटदरे, कुलपति, पुनरूत्थान विद्यापीठ, अहमदाबाद को डी.लिट उपाधि प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया ।	
मद सं0 17	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में An International Academic Initiative for Global Partnerships, Student Mobility and Indian Cultural Studies प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर इस संबंध में समेकित अनुशंसा करने हेतु एक समिति का गठन किये जाने हेतु कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया ।	

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई ।

24.9.26 — कुलगुरू

24/9/26 — कुलसचिव